न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या ६/विशेष न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

विशेष परीक्षण संख्या–१८/११

राज्य प्रति **राजू लोधी आदि**

<u>आदेश</u>

<u>१५.०९.२०२०</u>

अभियुक्तगण शिवमोहन उर्फ विश्वमोहन, छोटे लाल एवं राजू लोधी की ओर से गैर जमानतीय निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र ५०ब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया गया कि दिनांक २०.०२.२०२० को उनकी अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध एन०बी०डब्लू० जारी हो गया था। कोरोना काल में साधन न चलने के कारण वे न्यायालय उपस्थित नहीं हो सकेहै। उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्तगण की ओर से एन०बी०डब्लू० निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध जारी एन०बी०डब्लू० निरस्त किए जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ५०ब स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा ५०,०००/– रूपये का निजी मुचलका दाखिल करने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध जारी एन०बी०डब्लू० निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या –६/
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,
फतेहपुर।